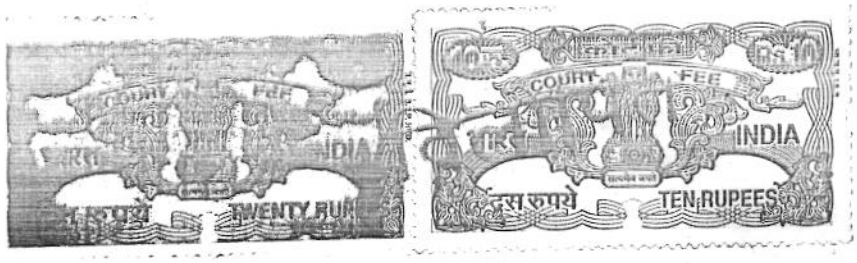

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

नि – 177–II–16

बृजेन्द्र सिंह तनय अर्जुन सिंह परिहार
निवासी नौगांव तह. नौगांव जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ–89/अ–13/2010–11 पारित आदेश दिनांक 07/12/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नौगांव स्थित भूमि खसरा क्र 1972/1, 1972/2, रकवा क्रमषः 0.368, 0.316 हे. भूमि निगरानीकर्ता की स्वअर्जित भूमि है तथा राजस्व अभिलेख में भी निगरानीकर्ता के नाम पर दर्ज थी। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि के अंष भाग 1800 वर्गफीट पर पूर्ण अनुमति प्राप्त कर कुछ दुकानों का निर्माण भी कराया गया तथा कुछ भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रित किया गया। हल्का पटवारी के गलत प्रेतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी नौगांव द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया, परंतु अनुविभागीय अधिकारी नौगांव द्वारा निगरानीकर्ता के जबाव से सहमत ना होते हुए बिना किसी जांच के मनमाने तौर पर अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री डी. के. पासी द्वारा आज दि. 18/1/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

डी. के. पासी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र. ग्वालियर मो.: 9753356589

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-177-दो/2016 जिला छतरपुर

बृजेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 08/अ-89/अ-13/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 7-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छरतपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	